ISSN: 2393-8900 IMPACT FACTOR : 2.7825(UIF) VOLUME - 5 | ISSUE - 6 | FEBRUARY - 2019

HISTORICITY RESEARCH JOURNAL

आधुनिक भारत में शैक्षिक अवसरों की समानता और सामाजिक न्याय की भूमिका

डॉ. रेनू चौहान
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, एस.बी.डी. महिला महाविद्यालय धामपुर (बिजनौर)

पस्तावना :

धरती पर जब से मनुष्य अस्तित्व में आया है, समानता का प्रश्न सम्भवतः अधिक विचार–विमर्श का मुद्दा रहा है। दो व्यक्तियों के बीच न केवल बाह्य–शारीरिक संरचना में ही भिन्नता विद्यमान होती है। बल्कि आंतरिक कारकों जैसे बुद्धि, व्यक्तित्व, समायोजन, सोच, तर्क शक्ति आदि में भी विभिन्नता होती है। विभिन्नताओं की यह सूची आगे अन्य बाह्य कारकों तक विस्तृत है। जैसे– निवास, भूगोल, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रादेशिक, भाषायिक विविधता आदि। मनुष्य का सदैव से एक–दूसरे के बीच में असमानता के विषय में तुलना, विषमता, क्लेश तथा शिकायत की मानसिकता रही है। मानव निर्मित अन्य कारकों को भी जोड़ा जा सकता है जैसे– संपत्ति, स्तर, शक्ति तथा सामाजिक रूप से विशिष्ट महत्ता जिसके द्वारा वैश्विक स्तर पर असमानता के आवेग को एकत्र किया गया है। समता तथा समानता की उपयुक्त अवधारणा को ध्यान में रखते हुए, यह इकाई विशेष रूप से निम्नलिखित प्रश्नों के समाधान हेतु निर्मित की गई है।

आधुनिक भारत में प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए, अवसरों की प्राप्ति में जाति, धर्म, सम्प्रदाय, क्षेत्र, भाषा, दलगत राजनीति या फिर शारीरिक दिव्यांगता किसी भी रूप में बाधन नहीं बनने चाहिए। अवसरों की समानता प्रदान करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य है। बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के बालकों को विद्यालयों में प्रवेश मिले उन्हें शिक्षा प्राप्त करने की सभी सुविधाएं मिलें तथा मूल्यांकन में भी उनकी योग्यता की बिना किसी भेदभव के परख हो। विभिन्न सामाजिक वर्गों को समान शैक्षिक सुविधाएं किस प्रकार प्रदान की जाएं यह वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की एक ज्वलन्त समस्या है। आज के भारत में यह अनुभव किया जा रहा है कि समाज के दलित व पिछड़े वर्ग के लोग शिक्षा के द्वारा अपनी स्थिति सुधार सकें। जो समाज सामाजिक न्याय को अपना आर्दश मानता है और जन साधारण की स्थिति सुधारने तथा शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को शिक्षा देने को उत्सुक है, उसे यह व्यवस्था करनी होगी कि समाज के सब वर्गों को अवसर की अधिकाधिक समानता प्रदान की जाए। एक समतामूलक तथा मानवता मूलक समाज, जिसमें कमजोर वर्ग का शोषण न हो इसका सुगम व सुनिश्चित साधन शिक्षा ही है।

भारत वर्ष में शिक्षा का अधिकार एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है, भारत के संविधान ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा है। इस आधार पर किसी भी भारतीय नागरिक को जाति, धर्म, सम्प्रदाय, रंग, भाषा, क्षेत्र या अन्य किसी आधार पर शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता, यदि ऐसा होता है तो यह सामाजिक अन्याय की श्रेणी में आयेगा, क्योंकि शिक्षा ही वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आर्थिक व सामाजिक स्तर को उच्च बनाता है। समाज को सशक्त बनाने का आधार शिक्षा ही है, क्योंकि शैक्षिक अवसरों की समानता आर्थिक उन्नति से सीधे–सीधे जुड़ी हुई है। सामाजिक उन्नयन एवं राष्ट्रीय विकास में विषमता एवं भेदभाव महत्वपूर्ण अवरोधक है। इसलिए सामाजिक न्याय एवं आर्थिक उन्नति के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए शिक्षा के समान अवसरों की आवश्यकता होती है।

वर्तमान परिवेश में शिक्षा को लेकर लोगों में एक नवीन सामाजिक चेतना का विकास हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक सुविधाएं, समानता, सामाजिक न्याय, प्रगतिवाद तथा लोकतंत्र जैसे अनेक तथ्य आ गये है जिनके अनुसार शिक्षा संरचना में क्या परिवर्तन होने चाहिए। इन विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया जा रहा है। आज प्रत्येक वर्ग के लोग और उनके माता–पिता व अभिभावक इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि उनके पाल्यों को समुचित शिक्षा मिलें। वर्तमान में शिक्षा प्राप्त करना एक सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है, जिसके कारण समाज में दलित व पिछड़े वर्ग के छात्रों की अभिलाषाओं एवं महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि हुई है। हमारे देश में शैक्षिक अवसरों में असमानता के अनेक कारण है उन पर भी विचार करना नितान्त आवश्यक है, यह कारण है–

- असमानता का एक कारण है गरीबी, शिक्षा संस्था उपलब्ध होने पर भी गरीब परिवारों में बच्चे इसका लाभ नहीं उठा पाते क्योंकि शिक्षा के निजीकरण के कारण विद्यालयों का शुल्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है जिसे गरीब परिवार वहन नहीं कर पाते।
- घर का वातावरण भिन्न होने के कारण भी शैक्षिक अवसरों में असमानता उत्पन्न होती है। ग्रामीण क्षेत्र व शहर की गन्दी बस्तियों में निवास करने वाले अभिभावकों की संतानों को आगे शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल पाता क्योंकि वे स्वंय अनपढ़ होते है।
- शिक्षा के प्रायः सभी स्तरों में लड़के और लड़कियों की शिक्षा में भारी अन्तर की विषमता का एक कारण है।
- सामाजिक भेदभाव के कारण समाज का वंचित वर्ग अवसर होते हुए भी शैक्षिक संसाधनों का लाभ नहीं उठा पाते।
- समाज के उन्नत वर्ग और दलित तथा पिछड़ों के बीच शैक्षिक अन्तर इस विषमता की वृद्धि में सहायक हो रहा है।
- समाज के दिव्यांग व मूकबधिरों के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था न होने से भी शैक्षिक अवसरों में विषमता दिखाई पड़ती है।
- भारतीय समाज की जटिलता भी असमानता का एक कारक है, क्योंकि जाति व्यवस्था के ढांचे ने समाज को अनेक वर्गो में बांट रखा है, जिससे अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है।
- उक्त के अतिरिक्त सामाजिक परिवेश, सामाजिक परिदृश्य, बालश्रम, नारी के प्रति समाज का दृष्टिकोण, रूढ़िवादिता व समाज में ऊंच–नीच की भावना आदि अन्य अवरोधक है, जिससे शैक्षिक अवसरों में विषमता आ जाती है।

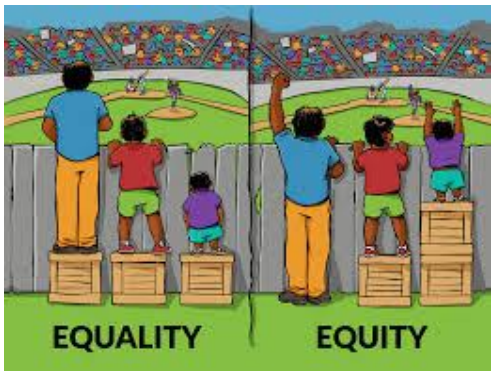

उक्त अनेक कारणों से शैक्षिक अवसरों में असमानता आती है, फलस्वरूप समाज का एक वर्ग प्रभावित होता है, जिससे उसका शैक्षिक उन्नयन रूक जाता है और आर्थिक उन्नति नहीं हो पाती और उसका सामाजिक उत्थान नहीं हो पाता, वास्तव में उसके साथ सामाजिक न्याय नहीं हो पाता और समाज के वंचित वर्ग के साथ सिर्फ इसलिए सामाजिक अन्याय हो जाता है क्योंकि उसको शिक्षा के समान अवसर नहीं मिल सके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद–15 में व्यवस्था दी गयी है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव किसी भी भारतीय नागरिक के साथ नहीं बरता जाएगा। अनुच्छेद–28 में व्यवस्था है कि शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के मामले में कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जायेगा। अनुच्छेद–29 राज्य द्वारा पोषित अथवा

राज्यनिधि से सहायता पाने वाली किसी भी संस्था में प्रवेश लेने पर किसी तरह से प्रतिबन्ध निषेध। अनुच्छेद–46 में निम्न जातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा और उनका सभी प्रकार के शोषण एवं सामाजिक अन्याय से बचाव।

हमारे देश की पूर्ववर्ती सरकारों व वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने वंचित वर्गो के शैक्षिक, सामाजिक व आर्थिक उन्नयन के लिए अनेक योजनाओं व नीतियों के द्वारा अनेक प्रयास किये गये परन्तु अपेक्षित परिणाम अभी तक प्राप्त नहीं हो सके। शैक्षिक अवसरों की समानता के सम्बन्ध में भी अनेक कठिनाइयां समाने आती है जैसे शिक्षा में सामाजिक अन्याय के साथ–साथ बौद्धिक और विशेष रूप से आर्थिक अपव्यय किस प्रकार रोका जाये। सभी वर्गो के छात्रों की आवश्कताओं को ध्यान में रखते हुए उनके बौद्धिक स्तर को सामान्य रूप में किस प्रकार ऊंचा उठाया जाय। सभी छात्रों को समान सुविधाएं व साधन उपलब्ध करा देने मात्र से ही समान परिणाम मिलेगें यह एक प्रश्न है क्योंकि घर परिवार व विद्यालय का वातावरण तो उनके बौद्धिक विकास पर प्रभाव डालने वाले कारकों में से एक है। सुविधाओं व साधनों की कमी के कारण दिव्यांग बालाकें के लिए उपयुक्त शैक्षिक अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते परिणाम स्वरूप इन बालकों में विद्यमान प्रतिभाएं अंधकार में ही गुम हो जाती है। बालिकाओं की शिक्षा में सुधार व गति लाने और उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराने में अनेक समस्याएं आती है। हमारे देश की परम्पराओं व धर्म में स्त्रियोंके प्रति एक खास धारणा बना ली गयी है, जो उन्हें सम्यक शिक्षा प्राप्त करने में बाधा डालती है।

आधुनिक भारत में स्वाधीनता के बाद से ही शैक्षिक अवसरों में समानता लाकर समाज के वंचित वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाने के अनेक प्रयास किये गये परन्तु उन समस्त प्रयासों में बहुत अधिक सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। असफलता के लिए शिक्षा व्यवस्था व प्रशासन को उत्तरदायी माना गया। कहा गया समाज में ज्ञान का मापन, वर्गीकरण, वितरण संरचना एवं मूल्यांकन आदि की व्यवस्था अत्यधिक दूषित है। इसलिए अवसरों की उपलब्धता के बावजूद समान सुविधाओं का उपयोग समुचित ढंग से नहीं हो पा रहा है। वर्तमान भारत में शिक्षा के समान अवसरों की उपलब्धता व उनके समुचित उपयोग के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझावों पर अमल किया जा सकता है–

- शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण/नवीनीकरण आधुनिक परिस्थितियों के अनुसार किया जाए जिससे वर्तमान भारतीय समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।
- भारतीय समाज, समुदाय, परिवार एवं बालकों में जो कमियां विद्यमान है उन्हें दूर करने का प्रयास सर्वप्रथम होना चाहिए।
- शैक्षिक वातावरण को स्वच्छ एवं आकर्षण बनाने के लिए शिक्षा व्यवस्था एवं उसकी प्रक्रिया व क्रियान्वयन के दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया जाये।
- प्रचलित शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन की विधियों में आमूल परिवर्तन करके पक्षपात व भेदभाव को कम किया जा सकता है।
- समाजिक व्यवस्थाओं जैसे भाषा, स्थान, रहन–सहन, खान–पान, संस्कृति, आमोद–प्रमोद आदि में भेदभाव की प्रवृत्ति में परिवर्तन लाकर सामाजिक न्याय दिलाया जा सकता है।
- स्त्रियों, दलितो, पिछड़े वर्गों एवं आदिवासियों के सन्दर्भ में शेष समाज को अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर अपनी सामाजिक मान्यताएं परिवर्तित करनी होगी। समाज के इन वर्गों को विभिन्न सामाजिक बन्धनों से मुक्त करना होगा तथा शिक्षा के समान अवसरों को सही अर्थो में लागू करके उन्हे सामाजिक न्याय दिला सकते है।
- शिक्षा में समानता का तात्पर्य केवल समान परिणाम प्राप्त करना न हो वरन ऐसे प्रयत्नों को महत्व दिया जाना चाहिए जिससे छात्रों का बौद्धिक स्तर ऊपर उठाया जा सके।
- समाज का दूषित वातावरण बालक के विकास में बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए बालक के यथासम्भव विकास के लिए उसके पारिवारिक व सामाजिक वातावरण को स्वच्छ बनाना आवश्यक है, जिससे बालक के मस्तिष्क का स्वस्थ विकास किया जा सके।

उक्ता सुझावों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि समाज में शैक्षिक अवसरों की असमानता से वर्ग भेद के साथ–साथ असन्तुलन एवं अव्यवस्था उत्पन्न होती है। इस अव्यवस्था से समाज के कुछ वर्गों के साथ सामाजिक न्याय नहीं हो पाता, परिणाम स्वरूप समाज में अविश्वास पैदा होता है। सामाजिक न्याय व राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता का होना नितान्त आवश्यक है। आधुनिक भारत में साधन सम्पन्न लोग अच्छी शिक्षा खरीदने में सफल हो जाते है और दूसरी तरफ समाज के साधन विहीन वर्ग के बच्चे इससे वंचित रह जाते है। उन्हें निम्न कोटि की सड़ी–गली शिक्षा व्यवस्था ही मिल पाती है।

शैक्षिक अवसरों की समानता के सन्दर्भ में असन्तुलनवादी, अव्यवस्थित एवं अलोकातांत्रिक व्यवस्था एक आदर्श समाज की स्थापना नहीं कर सकती। सामाजिक न्याय, सामाजिक विकास और समाज के लोगों की आर्थिक उन्नति के लिए, गणतन्त्रात्मक मूल्यों की रक्षा के लिए समाज के लिए उपयोगी और उत्पादकता में सहायक मानव संसाधनों के निर्माण के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए समाज के सभी कार्यो को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने होगें। सामाजिक न्याय और लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि सभी नागरिक पढ़े–लिखे होने चाहिए और यह तभी सम्भव होगा जब हम समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करायेगें।

सन्दर्भ सूची :–

1. नेट सर्चिंग।
2. मुलर केट हेक्सनर, 'एजुकेटिंग वुमर फॉर ए चेजिंग वर्ल्ड', यूनिवर्सिटी ऑफ मिन्नेसोटा प्रेस, मिन्नियोपॉलीज, 1954, पृ09, 21।
3. सिन्हा सुधा, 'स्त्री–शिक्षा और विकास : परिप्रेक्ष्य शैक्षिक योग्यता और प्रशासन का सामाजिक आर्थिक सन्दर्भ, न्यूपा, नई दिल्ली–16, वर्ष–2, अंक–3, दिसम्बर1995, पृ0–107।
4. यादव एवं शेखर, 'ग्रामीण एवं शहरी छात्र–छात्राओं की व्यवसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्तियों का अध्ययन', मानव विज्ञान विमर्श, वर्ष–2, अंक–5, 2005, पृ0–25।
5. दुबे एस.सी., ''माडनाइजेशन एंड डेवलपमेंट'' विस्तार पब्लिकेशन न्यू दिल्ली, 1988, पृ0–156–165।